न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 144/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम 1.मै0 बांगड़ टेक्सटाइल प्रो0 श्री अंकित पिता अनिल माहेश्वरी नि0 एफ–107 श्री क्लॉथ मार्केट पुर रोड़, भीलवाड़ा
2.श्रीमती रिंकू पत्नि अंकित बांगड़ निवासी रॉयल टेलर, शारदा कॉलोनी, महिला आश्रम स्कूल के पास भीलवाड़ा
3.श्री अनिल पिता लोक माहेश्वरी नि0 रॉयल टेलर, शारदा कॉलोनी, महिला आश्रम स्कूल के पास भीलवाड़ा

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितः— श्री हनुवन्त सिंह –अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 14/08/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 के द्वारा ग्राम भीलवाड़ा में श्री क्लॉथ मार्केट में प्रथम मंजिल पर स्थित वाणिज्यिक शॉप नं0 एफ–105 क्षैत्रफल 13फीट गुणा 32 फीट कुल 416 वर्गफीट, वाणिज्यिक शॉप नं0 एफ–109 क्षैत्रफल 22 फीट गुणा 16 फीट कुल 352 वर्गफीट तथा टांसपोर्ट मार्केट में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या टी–4 क्षैत्रफल 10 फीट गुणा 20 फीट यानि 22.22 वर्गगज नगरविकास न्यास भीलवाड़ा से अप्रार्थी संख्या 01 श्री अंकित बांगड़ के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख कमशः दिनांक 05.01.2015 , 21.09.2010 एवं 27.09.2011 से खरीद कर स्वामित्व प्राप्त किया। इसी प्रकार ग्राम भीलवाड़ा के रिशभ विहार, आटूण रोड़ पर स्थित आवासीय प्लॉट नं0 52/693 क्षैत्रफल 3542.5 वर्गफीट अप्रार्थी अंकित बांगड़ एवं श्रीमती रिंकू बांगड़ के नाम एवं ग्राम पांसल के बनीपार्क विस्तार में स्थित आवासीय प्लॉट सं0 77

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

क्षैत्रफल 1250 वर्गफीट अप्रार्थी श्री अंकित बांगड़ के नाम कमशः दिनांक 19.09.2011 एवं 04.05.2011 से खरीद कर स्वामित्व प्राप्त किया। उक्त तीनों व्यावसायिक सम्पत्तियों एवं दोनों आवासीय सम्पत्तियों की समस्त भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है को रहन रखा गया। अप्रार्थीगण के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा